

संचालनालय  
किसान कल्याण तथा कृषि विकास  
मध्यप्रदेश

क्रमांक/अ-2-9/स्था0/13/2010/

५९९९

भोपाल, दिनांक 22/9/2011

//आदेश//

निम्नलिखित सहायक ग्रेड-1/मुख्यलिपिक को संभागीय लेखापाल के पद पर वेतनमान रू0 5200-20200+ 2800 ग्रेड पे में अस्थाई रूप से पदोन्नत करते हुए अन्य आगामी आदेश तक उनके नाम के सम्मुख अंकित पद तथा स्थान पर पदस्थ किया जाता है

क्र0	कर्मचारी का नाम	वर्तमान पद स्थापना	पदोन्नति उपरान्तपदनाम	पदोन्नति उपरांत पदस्थापना
1	श्री डी.एस. चौपड़ा	उप संचालक, कि.क.तथा कृ.वि. बड़वानी	संभागीय लेखापाल	संयुक्त संचालक कि.क.तथा कृ.वि.रीवा
2	श्री आर0एस0 शर्मा	संचालनालय, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, म.प्र.भोपाल	संभागीय लेखापाल	संयुक्त संचालक कि.क.तथा कृ.वि.नर्मदापुरम(होशंगाबाद)
3	श्री जे.ए. गुप्ता	संयुक्त संचालक कि.क.तथा कृ.वि.उज्जैन	संभागीय लेखापाल	संयुक्त संचालक कि.क.तथा कृ.वि.उज्जैन
4	श्री जी.के. देवांग	संचालनालय, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, म.प्र.भोपाल	संभागीय लेखापाल	संचालनालय, किसान कल्याण तथा कृषि विकास म.प्र.भोपाल
5	श्री आर.के. दीवान	संचालनालय, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, म.प्र.भोपाल	संभागीय लेखापाल	संयुक्त संचालक कि.क.तथा कृ.वि.भोपाल
6	श्रीमती मन्दा रेवडीकर	संचालनालय, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, म.प्र.भोपाल	संभागीय लेखापाल	संयुक्त संचालक कि.क.तथा कृ.वि.शहडोल
7	श्रीमती लीला चाटे	संचालनालय, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, म.प्र.भोपाल	संभागीय लेखापाल	संयुक्त संचालक कि.क. तथा कृ.वि.मुरैना
8	श्री रामचरण अड्डिवार	उप संचालक, कि.क.तथा कृ.वि. दमोह	संभागीय लेखापाल	संयुक्त संचालक कि.क. तथा कृ.वि.सागर

उपरोक्त कर्मचारियों को निम्न शर्त के अधीन पदोन्नति दी जाती है :-


लेखा अप्रशिक्षित सहायक ग्रेड-एक को संभागीय लेखापाल के पद पर पदोन्नति हेतु मध्यप्रदेश अधिनस्थ कृषि ( लिपिक वर्गीय) सेवा भर्ती नियम 1972 की कंडिका-14:-

Provided that promotion to the clerical posts, in which accounts training has been made compulsory, the untrained persons may be promoted if trained persons are not available. Untrained persons so promoted will have to qualify in M.P. Accounts Examination within a period of 2 years from the date of promotion otherwise they will be liable for reversion. के अनुसार कार्यवाही की जावेगी।

//2//

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित रोस्टर के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आरक्षण का इस आदेश में पालन किया गया है।

- 1- पदोन्नत कर्मचारी को अनिवार्य रूप से 15 दिवस के अंदर उपस्थिति देनी होगी।
- 2- यदि पदोन्नत कर्मचारी समयावधि में पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण नहीं करता है तो उक्त आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
- 3- यदि पदोन्नत कर्मचारी के विरुद्ध कोई विभागीय जाँच आदेशित/लंबित हो तो उन्हें यह आदेश न सौंपा जाये एवं आदेश निस्प्रभावी रहेगा।

  
संचालक,


किसान कल्याण तथा कृषि विकास  
म0प्र0,भोपाल

पृ0क्रमांक/अ-2-9/स्था0/06/2010/ 4990

भोपाल,दिनांक:- 22-9-11

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- 1 विशेष सहायक, माननीय राज्य मंत्री, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, भोपाल।
- 2 महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
- 3 प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
- 4 संचालक, राज्य स्तरीय कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण संस्थान बरखेड़ी कला, भोपाल।
- 5 संचालक, अभियांत्रिकी संचालनालय गौतमनगर, भोपाल।
- 6 संयुक्त संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, उज्जैन/सागर/रीवा/शहडोल/मुरैना/भोपाल/नर्मदापुरम(होशंगाबाद) संभाग (म0प्र0)
- 7 उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिला-दमोह/बड़वानी, म.प्र.।
- 8 निज सहायक/प्रशासनिक अधिकारी/कल्याण अधिकारी, संचालनालय, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 9 उप/सहायक संचालक (आहरण-वितरण)/वेतन निर्धारण/जी0पी0एफ0/सेवा पुस्तिका पेटल संचालनालय, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 10 संबंधित श्री \_\_\_\_\_ द्वारा क्रमांक \_\_\_\_\_
- 11 आदेश नस्ती/व्यक्तिगत नस्ती।

  
संयुक्त संचालक (स्थापना)  
किसान कल्याण तथा कृषि विकास  
म0प्र0,भोपाल